Result Mitra Daily Magazine

तेलंगाना राज्य के 10 साल, कैसे बना भारत का सबसे युवा राज्य

(10 years of Telangana state, how India's youngest state was formed)

हालिया सन्दर्भ=

- भारत के सबसे युवा राज्य तेलंगाना 2 जून को अपना स्थापना दिवस मना रहा है।
- आज से 10 वर्ष पहले आंध्रप्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।
- कॉंग्रेस के नेतृत्व वाली (UPA) सरकार द्वारा वर्ष 2014 में कई दशकों से उठ रही तेलंगाना राज्य बनाने की मांग आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ।

तेलंगाना राज्य के गठन का इतिहास आजादी से पहले (हैदराबाद रियासत)-

प्राचीन एवं मध्य काल में तेलंगाना भिन्न-भिन्न भारतीयों राजवंश जैसे सातवाहन, चालुक्य, चोल राष्ट्रकूट का हिस्सा रहा।

सत्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र पर मुगलों और हैदराबाद के निजाम का शासन रहा।

हैदराबाद रियासत

- आजादी से पहले तेलंगाना हैदराबाद रियासत का हिस्सा था।
- वर्तमान नेलंगाना क्षेत्र में मुख्य रूप से राज्य के दक्षिण और दक्षिण पूर्व तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल था हालांकि इस क्षेत्र आसपास का क्षेत्रों में उर्दू भाषी मुस्लिम अभिजात वर्ग का वर्चस्व था।
- 1724 ई० में कमर-उद-दीन खान ने इस क्षेत्र को मुबारिज खान से जीतकर इस क्षेत्र का नया नाम हैदराबाद रखा।
- बाद में कमर-उद-दीन खान को आसिफ जाही निजाम या हैदराबाद का निजाम कहा जाने लया।
- 1799 में हैदराबाद है निजाम नासिर-उद-दौला द्वारा अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन करने के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश भारत का रियासत बन गया।
- वर्ष 1945 में हैदराबाद के तेलुगु भाषी बाहुल्य क्षेत्र में प्रचलित जागीरदारी प्रणाली (भू-राजस्व) के खिलाफ कम्युनिस्टों ने विद्रोह छोड़ दिया, जिसको तत्कालीन ब्रिटिश शासित निजाम ने रखाकर नामक स्थानीय मिलिशिया का उपयोग करने क्रूर रूप से दबा दिया।

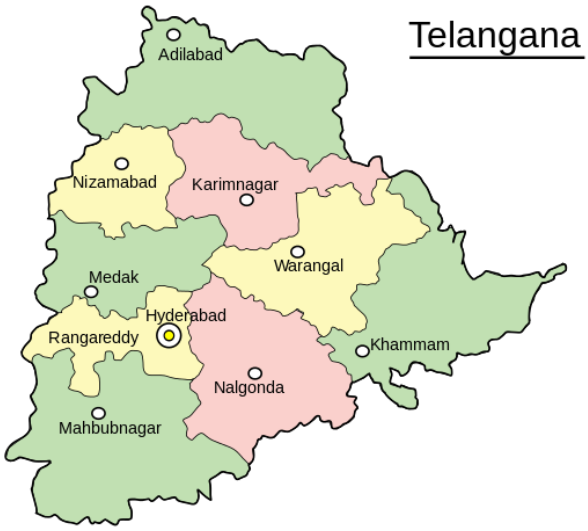

आजादी के बाद

- वर्ष 1947 में भारत की आजादी एवं विभाजन के बाद हैदराबाद के निजाम भारतीय संघ में हैदराबाद का विलय नहीं करना चाहते थे तथा स्वतंत्र रियासत के रूप में रहना चाहते थे।
- हालांकि सितंबर 1998 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन पोलो' नामक एक सैन्य अभियान द्वारा एक सप्ताह के भीतर भारत द्वारा हैदराबाद रियासत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया।
- भारत के गणतंत्र बनने के बाद 26 जनवरी 1951 को हैदराबाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में एम के वैलोदी को नियुक्त किया गया।

भाषायी पुनर्गठन और आंध्रप्रदेश राज्य का निर्माण

- वर्ष 1952 में पौड़ी श्रीरामलू ने अलग तेलुगु राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरु किया गया।
- हालांकि पौड़ी श्री रामलू की अनशन शुरु करने के 5 6 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई जिससे पूर्व क्षेत्र में अशांति फैल गई
- दिसंबर 1953 में भाषायी आधार पर राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) अस्तित्व में आया।
- राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा दो वर्ष बाद 1956 में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमे सिफारिश की गई कि हैदराबाद को भाषायी आधार पर पुनर्गठित किया जाए।
- इस सिफारिश में राज्य पुनर्गमन आयोग ने मराठी प्रमुख मराठावड़ा को बॉम्बे राज्य में एवं दक्षिया पश्चिम कन्नर प्रमुख जिलों को मैसूर राज्य में एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा गया था।
- हालांकि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा विवादास्पद तेलुगु प्रमुख क्षेत्र तेलंगाना के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई बल्कि आयोग ने वर्ष 1961 तक तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की सिफारिश की।

- वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा तेलंगाना के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को नजरअंदाज कर तेलांगना को आंध्रप्रदेश राज्य में विलय कर दिया गया।
- वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा तेलंगाना के लिए राज्य पुनर्गठित आयोग की सिफारिश को नजरअंदाज कर तेलंगाना को आंध्रप्रदेश राज्य में विलय कर दिया गया।

तेलंगाना के लिए संघर्ष और तेलंगाना राज्य का निर्माण

- तेलुगू बाहुल्य क्षेत्र द्वारा अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर तथा तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के विलय को रद्द करने के लिए लगातार आंदोलन होते रहे।
- वर्ष 1969 में आंध्र प्रदेश राज्य बनने के बाद तेलंगाना राज्य गठन से लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया।
- वर्ष 1969 में तेलंगाना राज्य के गठन के लिए किए जा रहे आंदोलन में 'तेलंगाना प्रजा समिति' नामक एक संगठन की जन्म दिया जिसने अलग तेलंगाना राज्य की मांग का नेतृत्व किया।
- वर्ष 1972 में भी 'तेलंगाना प्रजा समिति' द्वारा अलग तेलंगाना राज्य के लिए व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया।
- अंततः वर्ष 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने 32 वें संविधान संशोधन करके आंध्र प्रदेश को छः क्षेत्र में विभाजित करके नौकरियों के लिए 'आरक्षण' क्षेत्र आधार पर दिए जाने का निर्णय लिया।
- इस संशोधन के बाद आंध्रप्रदेश की 'मूल मुल्की अधिनियम को निरस्त कर दिया गया फलस्वरूप अलग तेलंगाना राज्य के गठन के लिए की जा रही आंदोलन की गति कुछ कम हो गई।
- काफी लंबे समय बाद 2001 ई० में ईसीआर में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) की सदस्यता से इस्तीफा देकर अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी तेलांगना राष्ट्र समिति (TRS) (वर्तमान में भारतीय राष्ट्र समिति, BRS) का गठन किया जिसका एकमात्र उद्देश्य नया तेलंगाना राज्य का गठन था।
- वर्ष 2009 में कांग्रेस के आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर की अचानक मृत्यु के बाद 29 नवंबर 2009 को केसीआर में अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया
- अंततः तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा वर्ष 2014 में आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लाकर अलग तेलंगाना राज्य की मंजूरी दी। आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014 को तेलंगाना अधिनियम के नाम से जाना आता है।

तेलंगाना (एक परिचय)

तेलंगाना शब्द का शाब्दिक अर्थ तेलुगुभाषियों की भूमि है।

राजधानी - हैदराबाद

क्षेत्रफल 112077 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 50 लाख (2011 के अनुसार)

जीडीपी - 9.78 ट्रिलियन

प्रतिव्यक्ति आय - 2,37,632

राजभाषा - तेलुगू

दूसरी अधिकारिक भाषा - उर्दू

साक्षरता - 72.8%

राज्य के पुनर्गठन से संबधित संवैधानिक उपबंध

भारतीय संविधान में भारतीय संसद को साधारण प्रकिया के तहत राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति प्रदान की है।

भारतीय संविधान के भाग- एक के अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रावधान आबंटित है।

संविधान का भाग- 1

भारतीय संविधान के भाग-1 में राज्यों या केन्द्रशासित प्रदेशों की स्थापना, नाम बदलने, विलय या सीमाओं में परिवर्तन करने की भारतीय संसद की शक्ति से संबंधित उपबंध है।

अनुच्छेद-3

भारतीय संविधान के भाग- 1 के अनुच्छेद-3 में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन के बारे में भारतीय संसद की शक्ति का उल्लेख है।

जागीरदारी प्रणाली-

- दिल्ली सल्तनत द्वारा शुरु की गई भागीदारी प्रणाली एक भू राजस्व आबंटन प्रणाली थी।
- इस प्रणाली के तहत मनसबदार जो सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे।
- भू-राजस्व एकत्र करने के बदले वेतन के रूप में जागीरें (जमीन) दी जाती थी।
- वर्ष 1952 में इस प्रणाली को एक अधिनियम के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया।